पेंशन योजनाओं की विधान परिषद ने जानकारी मांगी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

विधानपरिषद के सभापति ताराकांत झा ने समाज कल्याण विभाग से विभिन्न कल्याणकारी व पेंशन योजना और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की तमाम योजनाएं शामिल होंगी। शुक्रवार को विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

विधानपरिषद में एक नई समिति 'वृद्धजन संरक्षण व सुरक्षा समिति' का गठन किया गया है। समिति वृद्धों के कल्याण व अन्य योजनाओं की जानकारी एकत्र कर रही है। समिति ने सभापति से अपने कार्यक्रम व कार्यों को लेकर दिशा-निर्देश भी मांगा था। इसी के मद्देनजर सभापति ने समिति के सदस्यों व समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। हालांकि विभाग के अधिकारियों ने उन्हें योजनाओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। श्री झा ने अगली बार और जानकारियों के साथ उन्हें बुलाया है। इस संबंध में सभापति ने बताया कि वृद्धों को लेकर संसद ने वर्ष 2007 में एक कानून 'मेन्टेनेन्स ऑफ पैरेन्ट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007' पारित किया है। इसी से अभिप्रेरित होकर विधानपरिषद में एक नई समति का गठन किया गया है। इस समिति को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई है। वृद्धों के प्रति हमारी जवाबदेही है और हमें उसका पालन करना चाहिए।